शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जुलाई 2020
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

ई. वी. रामासामी नायकर (पेरियार) : संघर्षशील व्यक्तित्व

लिंकन कुमार (शोधार्थी)
इतिहास विभाग
एन.ए.एस.(पी. जी.) कॉलेज
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

पेरियार के नाम से विख्यात ई.वी.रामासामी का तमिलनाड के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीति क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। ई. वी. आर. (1879-1973) बीसवीं सदी के एक प्रमुख बुद्धिवादी, निरीश्वरवादी और मानवतावादी व्यक्ति थे। पेरियार तर्कसंगत चिन्तन का और सामाजिक न्याय का समर्थन करते थे। वे पिछड़े दलित वर्गों और महिलाओं के अधिकारों के हिमायती थे। अपने आत्म-सम्मान आन्दोलन के अन्तर्गत पेरियार परस्पर सहमति द्वारा आत्म-सम्मान विवाहों का समर्थन करते थे। इन विवाहों में ब्राह्मण पुरोहितों और धार्मिक कर्मकाण्डों के लिए कोई जगह नहीं होती है। प्रस्तुत शोध पत्र में उनके व्यक्तित्व के साथ , सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में दिए गए योगदान का पुनरावलोकन किया गया है।

प्रस्तावना

पेरियार के चिन्तन में निरीश्वरवाद की प्रमुख भूमिका है। अपने जीवन के बाद के दिनों में वे अपनी आम सभाओं की शुरुआत इस घोषणा के साथ करते थे कि "ईश्वर का अस्तित्व नहीं है।" पेरियार ईश्वर-विचार और मूर्तिपूजा का प्रबल विरोध करते थे। वे आत्मा के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं रखते थे। वे सामान्य तौर से धर्म के और विशेष तौर से हिन्दू धर्म के विरुद्ध थे। वे ब्राह्मणवाद, जाति-व्यवस्था और छुआछूत को पूरी तौर से नकारते थे। इसके अलावा, पेरियार संस्कृत और हिन्दी भाषा सहित उत्तर भारतीय प्रभावों के भी विरुद्ध थे। वे इन्हें आर्यों और ब्राह्मणों के साथ जोड़ते थे। वे तमिल भाषा, संस्कृति और अलग द्रविड़नाडु का समर्थन करते थे। उनके अनुसार शुरुआत में तमिल समाज ब्राह्मणवाद के बुरे प्रभावों से मुक्त था। इसलिए, वे तमिल समाज को उत्तर भारतीय प्रभावों से, जिन्हें वे ब्राह्मणवाद से जोड़ते थे, बचाना चाहते थे।

पेरियार का व्यक्तित्व

पेरियार का मूल नाम ई. वी. रामासामी नायकर था।[1] उन्होंने 'नायकर' उपनाम को त्याग दिया, क्योंकि इसका सम्बन्ध जाति से है और वे जाति-व्यवस्था का जबरदस्त विरोध करते थे। उनके प्रशंसकों ने उन्हें 'पेरियार' की उपाधि दी। (तमिल में 'पेरियार' का अर्थ है 'महान् व्यक्ति) पेरियार ने एक लम्बा और घटनाओं से भरपूर जीवन जिया। वे सामाजिक आन्दोलनों के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय थे।

पेरियार का जन्म 17 सितम्बर, 1879, को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेन्सी के इरोड शहर (तमिलनाडु) में एक गैर-ब्राह्मण जाति में हुआ।[2] उनके पिता वेंकटा नायकर इरोड के एक प्रमुख व्यापारी थे। उनके पिता और उनकी माँ, चिन्नाथइ अम्मइ, दोनों रूढ़िवादी धार्मिक विचारों

के थे। पेरियार तीन द्रविड़ भाषाओं को बोल सकते थे : कन्नड़, तमिल और तेलुगु। उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, लेकिन वे अधिकांशतः तमिल बोला करते थे। पेरियार ने अपने बचपन के कुछ शुरुआती दिन अपने पिता की एक मामी के साथ गुजारे थे। वे विधवा और निःसन्तान थीं। उनकी इच्छा थी कि वे पेरियार को पाल-पोसकर बड़ा करें। बालक पेरियार रूढ़िवादियों द्वारा 'अछूत' समझे जाने वाले लोगों के साथ खुलकर मिलने-जुलने लगे। उनके रंग-ढंग से चिन्तित होकर उनके पिता ने उन्हें घर वापस बुला लिया और 6 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला स्कूल में करा दिया। पेरियार के अनुसार उन्हें स्कूल भेजे जाने का प्रयोजन उनकी शिक्षा से उतना नहीं था जितना कि उन्हें गलत समझे जाने वाले रास्तों पर चलने से रोकने से।[3]

छः वर्ष की उम्र में रामासामी को इरोड के पास जिस स्कूल में भेजा गया, उसके इर्द-गिर्द मुसलमान और 'अछूत' जातियाँ रहा करती थीं। बालक पेरियार को यह सख्त हिदायत दी गयी थी कि वे उनके साथ खान-पान न करें। उन्हें कहा गया कि वे सिर्फ अपने शिक्षक के घर पर पानी पिएँ, जो पूर्ण शाकाहारी थे। फिर भी, पेरियार ने बहुत जल्दी ही अपने सहपाठियों के घर पर जाना और उनके साथ खाना-पीना शुरू कर दिया। जब यह खबर पेरियार के घर पर पहुँची तो उनकी माँ काफी परेशान हो गयीं। अन्ततः पेरियार को स्कूल से निकाल लिया गया। पेरियार के अनुसार उस समय उनके माता-पिता "रूढ़िवादी ब्राह्मणों की तरह कर्मकाण्डों का पालन करते थे।" इस तरह, पेरियार की स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की उम्र में ही समाप्त हो गयी। उन्हें सिर्फ 6 वर्षों की औपचारिक शिक्षा प्राप्त हुई।

ऐसा लगता है कि उन्होंने धर्म आदि के बारे में जानकारी अपने पिता की दुकान पर लोगों से बातचीत कर प्राप्त की, जहाँ उन्हें काम करने के लिए भेज दिया गया। पेरियार का विवाह 19 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। उनकी पत्नी नागम्मई उस समय सिर्फ 13 वर्ष की थीं।[4] विवाह के 2 वर्ष बाद उन्हें एक बेटी भी हुई लेकिन वह सिर्फ पाँच महीने जीवित रही। उसके बाद उन्हें कोई सन्तान नहीं हुई। नागम्मई का पालन-पोषण एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ था। शुरुआत में उन्हें अपने रूढ़ि-विरोधी पति के साथ तालमेल बैठाने में कुछ समस्याएँ हुईं। लेकिन बाद के जीवन में उन्होंने पेरियार की सार्वजनिक गतिविधियों और अभियानों में पूरा सहयोग दिया। उनकी मृत्यु 1933 में 48 वर्ष की उम्र में हुई।

सन 1904 में अपने विवाह के 6 वर्षों बाद 25 वर्ष की उम्र में पेरियार बिना किसी को कुछ बतलाए घर छोड़कर चले गए। उनका अपने परिवार के रूढ़िवादी तौर-तरीकों से संघर्ष बढ़ता चला जा रहा था। पेरियार' 'थाली' (मंगलसूत्र) को गुलामी की निशानी मानते थे। पेरियार द्वारा अपनी पत्नी की थाली हटा देने से परिवार में हड़कम्प मच गया।[5] शायद इसी कारण पेरियार बिना किसी को कुछ बतलाए घर से निकल गए। बाद में उन्होंने संन्यासी बनकर हिन्दुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले बनारस सहित कई उत्तर भारतीय शहरों का दौरा किया और संन्यासियों के तौर-तरीकों का अध्ययन किया। इससे पेरियार को यह देखने और समझने में मदद मिली कि ईश्वर और धर्म पुरोहित वर्ग के हाथ में एक हथियार है, जिसका इस्तेमाल वे बहुमत जनता पर अपना वर्चस्व स्थापित करने और उन्हें

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जुलाई 2020
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

गुलाम बनाकर उनका शोषण करने के लिए करते हैं।

घर लौटने पर पेरियार एक बार फिर से पारिवारिक व्यवसाय-व्यापार में लग गए। 30 वर्ष की उम्र तक पेरियार अपने पिता के व्यवसाय को अधिक मजबूत बनाने में लगे रहे। पेरियार के पिता की मृत्यु सन 1911 में हो गयी। अपने पिता के जीवन-काल में भी पेरियार सार्वजनिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी रखते थे। 1920 तक उन्होंने इरोड नगरपालिका के अध्यक्ष सहित उन्तीस सार्वजनिक महत्त्व के पदों को प्राप्त कर लिया था।[6] वे कई वर्षों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे।

आजादी आन्दोलन में पेरियार की भूमिका

पेरियार 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने इरोड नगरपालिका के अध्यक्ष सहित सभी सार्वजनिक पदों से इस्तीफा दे दिया। 1920-21 में वे गाँधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आन्दोलन में शामिल हुए। इस आन्दोलन के दौरान पेरियार उनकी पत्नी नागम्मई और बहन कनम्मा को कई बार जेल में डाला गया। पेरियार शराबबन्दी के गाँधीवादी कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। 1923-24 में पेरियार मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 में मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पेरियार ने प्रसिद्ध वैकाम सत्याग्रह का नेतृत्व किया।[7] वैकाम वर्तमान केरल में एक स्थान है, जहाँ दलित वर्गों के लोगों (एझवा और आदि द्रविडार) को एक मन्दिर के इर्द-गिर्द की सड़कों पर चलना मना था। ट्रावनकोर के महाराजा पेरियार के दोस्त थे। उन्होंने पेरियार को अपना अभियान स्थगित करने के लिए राजी करने का प्रयत्न किया, लेकिन पेरियार नहीं माने। इस अभियान के दौरान ट्रावनकोर सरकार द्वारा पेरियार को दो बार जेल में डाला गया। कई अन्य लोगों के साथ पेरियार की पत्नी और बहन ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा और दलितों को मन्दिर के इर्द-गिर्द की सड़कों के इस्तेमाल का अधिकार मिल गया। इस सफल संघर्ष के कारण पेरियार को उनके प्रशंसकों द्वारा 'वैकाम के हीरो' की उपाधि दी गयी। वैकाम में पेरियार की भूमिका को सिर्फ एक अखबार, नवशक्ति द्वारा सराहा गया। पेरियार के अनुसार प्रेस पर अधिकांशतः ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इसलिए पेरियार ने मई, 1924 से कुडि अरासु (गणराज्य) नाम के तमिल साप्ताहिक की शुरुआत की।[8]

पेरियार 1919 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उस समय उन्हें यह उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी के जागरूक सदस्यों के सहयोग से वे छुआछूत की बुराई को मिटाने में सफल होंगे। उनकी यह भी अपेक्षा थी कि वे पिछड़े और दलित वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नियुक्तियों में पर्याप्त हिस्सा प्राप्त कर सकेंगे। मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी सम्मेलनों में पेरियार गैर-ब्राह्मण जातियों के लिए विधायिका के चुनाव में कुछ प्रतिशत सीटें और सरकारी नौकरियों में पद आरक्षित करने का प्रस्ताव रखते थे। वे इसे सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य मानते थे। वैकाम से लौटने के कुछ ही समय बाद, 1925 में कांचीपुरम में कांग्रेस के ऐतिहासिक सम्मेलन में पेरियार ने छठी और अन्तिम बार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के आरक्षण के पक्ष में एक प्रस्ताव पेश किया।[9] लेकिन इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद पेरियार ने यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया कि 'कांग्रेस गैर-ब्राह्मणों का कोई भला नहीं कर

सकती।' दरअसल, कई अन्य दृष्टान्तों के आधार पर पेरियार यह सोचने लगे थे कि कांग्रेस ब्राह्मणों के वर्चस्व वाली पार्टी थी और पार्टी के उच्च जाति के लोग निम्न जातियों और वर्गों से वास्तविक सहानुभूति नहीं रखते थे। जिस समय पेरियार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, उस समय जस्टिस पार्टी और स्वराज पार्टी मद्रास की अन्य मुख्य पार्टियाँ थीं। पेरियार की नजरों में स्वराज पार्टी पर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व था। दूसरी ओर, जस्टिस पार्टी पर गैर-ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। जस्टिस पार्टी द्वारा गैर-ब्राह्मणों के लिए सार्वजनिक सेवाओं और शिक्षा में आरक्षण का समर्थन किया गया था। इसलिए, पेरियार जस्टिस पार्टी की गतिविधियों में दिलचस्पी लेते थे, और कभी-कभी उनकी सभाओं को सम्बोधित किया करते थे।

1927-28 में पेरियार आम सभाओं और गैर-ब्राह्मण सम्मेलनों को सम्बोधित करने में व्यस्त रहे। वे जस्टिस पार्टी का समर्थन करते थे, लेकिन उन्होंने अपने को उसके साथ पूरी तौर से जोड़ा नहीं था। 1929 में आत्म-सम्मान आन्दोलन के विकास से सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई। दिसम्बर 1928 में जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष, पनगल राजा की अचानक मृत्यु हो गयी। इसके बाद, पेरियार ने मद्रास शहर (अब चेन्नई) चेगंलपट्टु में 17-18 फरवरी, 1929, को प्रथम आत्म-सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में वर्ण-व्यवस्था, छुआछूत और पुरोहितवाद के विरोध में तथा पूजा-पाठ के सन्दर्भ में संस्कृत या किसी उत्तर भारतीय भाषा के इस्तेमाल का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किए गए।[10] सम्मेलन द्वारा महिलाओं के लिए सम्पत्ति में बराबर के अधिकार का समर्थन किया गया। आम लोगों से यह अपील करते हुए भी प्रस्ताव पारित किए गए कि वे मन्दिरों में पूजा-पाठ न करें तथा नए मन्दिर और वैदिक स्कूल आदि बनवाने में पैसे खर्च न करें। उनसे आह्वान किया गया कि वे जाति-सम्बन्धी उपनामों को त्याग दें, और अपने शरीर या माथे पर जाति सम्बन्धी चिह्न धारण न करें। इस बात पर बल दिया गया कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल शैक्षणिक कार्यों और बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए किया जाना चाहिए। अगला आत्म-सम्मान सम्मेलन 10 मई, 1930, को इरोड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में मानव-मानव के बीच भेद-भाव समाप्त करने पर बल दिया गया। पिछले सम्मेलन से एक कदम आगे बढ़ते हुए मन्दिरों में मूर्ति-पूजा की तीव्र भर्त्सना की गयी। यह घोषणा की गयी कि आम लोगों को कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ऐसे में उन्हें एक काल्पनिक ईश्वर के पीछे समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है।

समाज सुधार आन्दोलन

अन्य बातों के अलावा, वे अन्तरजातीय विवाहों और विधवा-पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। पेरियार ने इन सम्मेलनों में औरत-मर्द बराबरी की वकालत की। पेरियार ने परस्पर सहमति द्वारा आत्म-सम्मान विवाहों को भी लोकप्रिय बनाया, जिनमें ब्राह्मण पुरोहितों या धार्मिक कर्मकाण्डों के लिए कोई जगह नहीं होती है। 1930 में पेरियार ने मद्रास असेम्बली में देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक बिल पेश किया।[11] इस प्रथा के अन्तर्गत कम उम्र की लड़कियों को मन्दिरों के साथ यौनकर्मी (सेक्स वर्कर) के रूप में जोड़ दिया जाता था। पेरियार ने

इस प्रथा को हिन्दू धर्म के लिए एक कलंक बतलाया।

1932 में पेरियार मिस्र, ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, रूस और इंग्लैण्ड की यात्रा पर गए। भारत लौटने के बाद उन्होंने समाजवादी घोषणा-पत्र तैयार किया और उसका प्रचार करने लगे। उस दौरान जयप्रकाश नारायण, जो उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे, पेरियार से मिले और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमन्त्रित किया। लेकिन पेरियार ने उसके आमन्त्रण का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।

पेरियार ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1949 में अपनी 28 वर्षीय सचिव अन्नइयार मनियम्मई से दूसरा विवाह किया।[12] पेरियार उस समय 70 वर्ष के थे। उनके विवाह के कारण द्रविडार कषगम (डी. के.) में टूट हो गई। पेरियार के कुछ अनुयायियों ने सी. एन. अन्नादुरई (1909-1969) के नेतृत्व में अलग से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डी. एम. के.) का गठन किया। विवाह के पहले मनियम्मई 6 वर्षों तक पेरियार की सेक्रेटरी थीं। पेरियार को ऐसा महसूस हुआ कि वे अपने विचारों और आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन पर भरोसा कर सकते थे। डी.एम.के. एक राजनीतिक पार्टी बन गयी, जबकि पेरियार स्वयं पार्टी-राजनीति से दूर अधिकाधिक पूरी तरह वैचारिक दिशा में बढ़ गए।[13]

जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, पेरियार गैर-ब्राह्मणों (पिछड़ा वर्ग और दलित) के लिए आरक्षण के पक्ष में थे। दरअसल, मुख्यतः इसी मुद्दे के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। दूसरी ओर, जस्टिस पार्टी ने 1928-29 में सत्ता में रहते हुए आरक्षण की नीति को लागू किया था। पेरियार ने मद्रास सरकार के इससे सम्बन्धित आदेश का समर्थन किया था। उस समय उस आदेश को 'कम्यूनल जी.ओ.' (सामुदायिक सरकारी आदेश) कहा जाता था। इस आदेश में गैर-ब्राह्मणों (पिछड़ा वर्ग, दलित तथा मुस्लिम और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदाय) के लिए राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान था। इन सेवाओं में उस समय तक मुख्यतः ब्राह्मणों का ही वर्चस्व था और गैर-ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम था। इस तरह मद्रास प्रेसिडेन्सी में आजादी के पहले से ही आरक्षण की नीति लागू थी। 1951 में भारत के एक स्वतन्त्र गणराज्य बनने के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने यह घोषित किया कि मद्रास सरकार की 'कम्यूनल जी. ओ.' भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।[14] पेरियार ने इसके विरुद्ध एक सशक्त लोकप्रिय आन्दोलन की शुरुआत की। अन्ततः भारत के संविधान को संशोधित कर इसमें सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया (धारा 15(4))। प्रसंगवश, यह भारत के संविधान में पहला संशोधन था।

1952 में पेरियार ने अपने बुद्धिवादी विचारों के प्रचार के लिए 'पेरियार सेल्फ-रेस्पेक्ट प्रोपेगंडा इन्स्टिट्यूशन (पेरियार आत्म-सम्मान संस्थान) के नाम से एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट' की स्थापना की। उन्होंने अपनी अब तक की प्राप्त लगभग सारी सम्पत्ति इस ट्रस्ट को दे दी। इस ट्रस्ट के उद्देश्यों में पेरियार के विचारों के प्रचार के लिए सस्ती पत्र-पत्रिकाओं और किताबों का प्रकाशन शामिल था। पेरियार ने अस्पतालों के सुधार के लिए सरकार को काफी पैसा दान किया।[15] उन्होंने खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की।

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जुलाई 2020
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

स्वतंत्रता पश्चात् वैचारिक आन्दोलन

सन 1952 में पेरियार ने मद्रास राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री, सी. राजगोपालाचारी द्वारा लाई गई आनुवंशिक व्यवसाय पर आधारित नयी प्राथमिक शिक्षा की स्कीम का विरोध किया। इस स्कीम के अन्तर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल में अपने आनुवंशिक व्यवसाय को सीखना अनिवार्य था। पेरियार का आन्दोलन इतना सशक्त था कि राजाजी को मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा। परिणामस्वरूप, कामराज मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस स्कीम को वापस ले लिया। 1953 में पेरियार ने मूर्तिपूजा को हतोत्साहित करने के लिए राज्यभर में सार्वजनिक रूप से गणेश की मूर्तियों को तोड़ने के अभियान का नेतृत्व किया। वर्ण-व्यवस्था और जाति-व्यवस्था के विरुद्ध अपने अभियान को भी पेरियार ने जारी रखा। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने राम के पुतले जलाए और गणेश की मूर्तियाँ तोड़ीं।[16] वर्ण-व्यवस्था को मान्यता प्रदान करने वाले मनुस्मृति और रामायण जैसे कुछ धर्मग्रन्थों की प्रतियों को सार्वजनिक रूप से जलाया गया। 1955 में पेरियार को राम की तस्वीरों को सार्वजनिक रूप से जलाने का प्रयत्न करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 1967 में जब डी. एम. के. सत्ता में आई और अन्नादुरई मद्रास राज्य के मुख्यमन्त्री बने तो पेरियार ने उनका समर्थन किया।[17] दरअसल, अन्नादुरई ने ही कानून द्वारा मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया। उनकी सरकार ने आत्म-सम्मान विवाह अधिनियम (सेल्फ-रेसपेक्ट मैरिज ऐक्ट) लाकर पेरियार द्वारा प्रोत्साहित आत्म-सम्मान विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की।

सन 1969 में पेरियार ने मन्दिरों में सिर्फ ब्राह्मणों के अर्चक बनने और पूजा करने की प्रथा को चुनौती देने के लिए, मन्दिरों के गर्भ-गृह में प्रवेश करने के आन्दोलनात्मक कार्यक्रम की घोषणा की।[18] गैर-ब्राह्मणों को मन्दिरों के गर्भ-गृह में प्रवेश करने और अर्चक के रूप में काम करने की अनुमति नहीं थी। एक निरीश्वरवादी के रूप में पेरियार मन्दिर की संस्था में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने सिर्फ गैर-ब्राह्मणों के अधिकारों पर बल देने के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा की थी।

सन 1970 में पेरियार ने बुद्धिवाद के प्रसार के लिए रैशनिलिस्ट फोरम नाम के एक नए गैर-राजनीतिक, सामाजिक संगठन की स्थापना की। इस तरह, पेरियार ने बुद्धिवाद और समाज-सुधार के पक्ष में तथा ब्राह्मणवाद और छुआछूत के विपक्ष में कई अभियानों का नेतृत्व किया। 1970 में यूनेस्को द्वारा पेरियार को 'नए युग का प्रवक्ता' और 'दक्षिण-पूर्व एशिया के सुकरात के रूप में सम्मानित किया गया।[19] पेरियार को 'सामाजिक सुधार आन्दोलन का पिता' तथा 'अज्ञान, अन्धविश्वास, अर्थहीन प्रचलनों और निराधार तौर-तरीकों का मुख्य शत्रु' घोषित किया गया। पेरियार की मृत्यु 24 दिसम्बर, 1973 को तमिलनाडु के वैलोर क्रिश्चियन हास्पिटल में हुई।[20] वे उस समय 95 वर्ष के थे। उनके शरीर को मद्रास शहर (चेन्नई) में पेरियार थिडल में लाया गया, जहाँ से उनके द्वारा स्थापित संगठन काम किया करते थे। 25 दिसम्बर को उन्हें गैर-हिन्दू सादे समारोह में लकड़ी के ताबूत में पेरियार थिडल में ही दफना दिया गया।[21]

पेरियार के धर्म संबंधी विचार

पेरियार ने समता पर आधारित जातिविहीन समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म-सम्मान आन्दोलन की शुरुआत की थी। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना, बुद्धिवाद

का प्रचार-प्रसार करना तथा समाज को ईश्वर और धर्म में अन्ध आस्था एवं अन्य अन्धविश्वासों की जकड़न से मुक्त कराना पेरियार के प्रमुख उद्देश्य थे।[22] शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में आरक्षण के जरिए गैर-ब्राह्मणों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी पेरियार का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य था। अपने विचारों की आस्था को व्यक्त करने के लिए उन्होंने तीव्र भाषा और उग्र आन्दोलनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया। अपने बाद के जीवन में, वे अपनी आम सभाओं की शुरुआत स्पष्ट और निश्चित रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए करते थे -

ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है। ईश्वर बिलकुल ही नहीं है।

वह जिसने ईश्वर का सृजन किया मूर्ख है। वह जो ईश्वर का प्रचार करता है दुष्ट है।

वह जो ईश्वर की पूजा करता है असभ्य है।[23]

पेरियार के अनुसार, 'ईश्वर-विचार मनुष्य की अज्ञानता और वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझने में असमर्थता का परिणाम है। इस विचार का आधार सिर्फ अटकलबाजी ही है। इसके अलावा, मनुष्य द्वारा गढ़ी गयी इस सुविधाजनक कल्पना ने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूपों के बारे में आगे अन्वेषण और अनुसंधान के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ईश्वर-विचार ने अधिकांश लोगों को महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से सोचने से रोक दिया। ईश्वर और उसकी शक्तियों पर विश्वास ने लोगों को अज्ञानी और मूर्ख बना दिया। जैसे-जैसे लोग ईश्वर पर अपने विश्वास को छोड़ने लगे, वे बुद्धिमान बनने लगे और परिणामस्वरूप समाज प्रगति कर पाया।

ईश्वर-विचार को अस्वीकार करने के अलावा, पेरियार ने आत्मा, पुनर्जन्म, भाग्य, कर्म, मोक्ष और नरक के विचार को भी स्पष्ट तौर से नकारा है।

उनके अनुसार, इन अंधविश्वासों ने मानव-जीवन में काफी तबाही मचायी है। पेरियार सभी धर्मों के विरुद्ध थे। धर्मों का उन्न्मूलन पेरियार के आत्म-सम्मान आन्दोलन का एक प्रमुख उद्देश्य था। पेरियार जाति-व्यवस्था के विरुद्ध थे और उन्होंने मुख्यतः हिन्दू वातावरण में काम किया इसलिए उन्होंने विशेष तौर से हिन्दू धर्म या ब्राह्मणवाद की आलोचना की है। पेरियार की कुछ चुनी हुई धर्म-सम्बन्धी रचनाओं और भाषणों को Periyar on Religion (धर्म पर पेरियार) शीर्षक एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। पुस्तक में एक अध्याय का शीर्षक है "Why should Religion be Abolished" (धर्म का उन्मूलन क्यों ?)।[24]

पेरियार अपने लेख की शुरुआत में ही बलपूर्वक यह कहते हैं कि धर्म द्वारा बुद्धिवाद को दबाया जाता है और सामाजिक एकता को नष्ट किया जाता है। धर्म के कारण मनुष्य अपने को अलग-अलग समुदाय को समझने लगते हैं। पेरियार के अनुसार धर्म अमीर लोगों का पक्षधर है। इसलिए, पेरियार धर्मों के पूर्ण उन्मूलन का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार धर्म के उन्मूलन से समाज में एकता और शान्ति आएगी'' और समाज को अमीरों के अत्याचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पेरियार का यह दृढ़ मत था कि हम धर्म के बिना एक अच्छा और सृजनात्मक जीवन जी सकते हैं।

निष्कर्ष

पेरियार ब्राह्मणवाद के पूरी तौर पर विरुद्ध थे। छुआछूत सहित जाति-व्यवस्था का उन्मूलन पेरियार के आत्म-सम्मान आन्दोलन का सबसे मुख्य उद्देश्य था। पेरियार ने समता के मूल्य पर आधारित एक जातिविहीन समाज के लिए काम

किया। उनका यह मानना था कि ब्राह्मणवाद को समाप्त करके ही इस उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है। पेरियार महिलाओं के अधिकारों के समर्थक थे। अपने द्वारा मद्रास में आयोजित कई आत्म-सम्मान सम्मेलनों में उन्होंने औरत-मर्द बराबरी और महिलाओं के लिए सम्पत्ति में बराबर के अधिकार की वकालत की। अन्य बातों के अलावा, वे अन्तरजातीय विवाहों और विधवा-पुनर्विवाहों को प्रेरित करते थे और उनका समर्थन करते थे।[25] पेरियार ने परस्पर सहमति द्वारा आत्म-सम्मान विवाहों को लोकप्रिय बनाया। ये विवाह ब्राह्मण पुरोहित या किसी धार्मिक कर्मकाण्ड के बिना आयोजित किए जाते थे। इस तरह, यह स्पष्ट है कि पेरियार ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का समर्थन किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि नैतिकता के नियमों को मानव-स्वभाव की वास्तविकता के अनुरूप होना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ

1 इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की परास्नातक कक्षा (प्रथम वर्ष) की अध्ययन सामग्री से उद्धृत, वर्ष 1998 (यहाँ से आगे इग्नू नोट्स के रूप में उल्लेखित)

2 वही, इग्नू नोट्स

3 वही, इग्नू नोट्स

4 वीरामनी, के., ई.वी. आर.-ए लाइफ ऑफ़ पेरियार, भाग 2, द पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन,चेन्नई 2006, पृष्ठ 10

5 सामी, चिदम्बरानार, पेरियार: द थलाइवा, रंजीत बुक्स, कन्याकुमारी, 1960, पृष्ठ 12

6 सुब्रमणियम, एम. के., पेरियार : सेल्फ रिस्पेक्ट फिलास्फी, रंजीत बुक्स, कन्याकुमारी, 1980, पृष्ठ 12

7 गोपालकृष्णा, एम. डी., पेरियार: फादर आफ द तमिल रेस, एमेराल्ड पब्लिशर्स, मद्रास, 1991, पृष्ठ 03

8 वही, पृष्ठ 04

9 वही, पृष्ठ 04

10 वीरामनी, के., कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ पेरियार, प्रथम संस्करण, द पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन, चेन्नई 2005, पृष्ठ 16

11 इग्नू नोट्स से उद्धृत

12 वेलुसामी, पेरियार: द सोशल साइंटिस्ट, सेलम बुक्स, सेलम, 1999, पृष्ठ 79

13 इग्नू नोट्स से उद्धृत

14 वीरामनी, के., कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ पेरियार, पृष्ठ 19

15 वही, पृष्ठ 20

16 सामी, चिदम्बरानार, वही, पृष्ठ 09

17 गोपालकृष्णा, एम. डी., वही, पृष्ठ 11

18 इग्नू नोट्स से उद्धृत

19 इग्नू नोट्स से उद्धृत

20 सुब्रमणियम, एम. के., वही, पृष्ठ 18

21 वही, पृष्ठ 19

22 वीरामनी, के., ई.वी. आर.-ए लाइफ ऑफ़ पेरियार, भाग 2, द पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन,चेन्नई 2006, पृष्ठ 27

23 वही, पृष्ठ 28

24 वही, पृष्ठ 31

25 सामी, चिदम्बरानार, वही, पृष्ठ 16